–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 156/2025

उनवान

1. शोभा सिंह पुत्र गोपी,
2. धर्म सिंह पुत्र गोपी,
3. लाडी पुत्री गोपी,
4. सोनी पुत्री गोपी,
5. चुका पुत्री गोपी,
6. सिवा पुत्री गोपी,
7. सम्पति पुत्री गोपी,
8. गंगा पत्नि लाडूसिंह,
9. जनवरी पुत्री लाडूसिंह,
10. फरवरी पुत्री लाडूसिंह,
11. भवानी सिंह पुत्र लाडू सिंह
12. पृथ्वीराज पुत्र भागचन्द, माता मीरा,
13. सुनिता पुत्री भागचन्द,
14. रंजना पुत्री भागचन्द जातिगण रावत निवासी भवानीखेडा नसीराबाद

—— अपीलांट जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. ग्राम पंचायत नान्दला जरिये सरपंच,
2. जयसिंह पुत्र छीतर,
3. रमेश पुत्र छीतर जातिगण रावत निवासी धोलादॉता बुबानिया हाल नि. किशनपुरा गोयला तह. पुष्कर,
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री ममता डाबरिया,
2 व 3 जरियें अधिवक्ता श्री धमेन्द्र जैन, 4 जरियें राज. पैराकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत नान्दला द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 नामान्तकरण संख्या 403 के द्वारा पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व अपील बाबत।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:30:38 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :– दिनांक 21.10.25

अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बूबानिया के खाता संख्या 203 किता 6 रकबा 0.43 व 204 किता 14 रकबा 2.48 की आराजी अपीलाट के पूर्वज गोपी पुत्र घीसा की खातेदारी थी तथा रेस्पोडेन्टस के पूर्वज का नाम छीतर पुत्र गोपी था। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के दादा का नाम गोपी पुत्र घीसा था। रेस्पोडेन्टस के पिता छीतर पुत्र गोपी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खाता संख्या 43, 44, 45, 46, 47, 131 की आराजी पर अपने पिता छीतर का नामानतकरण खुलवाते समय भूलवश अपीलांट की आराजी में भी गोपी पुत्र घीसा एक ही नाम होने के कारण रेस्पोडेन्टस के नाम अंकित कर दिया। नामान्तकरण संख्या 403 दिनांक 21.002.2022 द्वारा छीतर पुत्र गोपी के स्थान पर वारिस जय सिंह, रमेश पि. छीतर व कंचन, सोना पुत्रियॉ छीतर व नानी देवी पत्नी छीतर का नाम अंकन किया गया। विरासत होने के बाद कंचन, सोना पुत्रियॉ छीतर व नानी देवी पत्नी छीतर ने अपना हिस्सा जरियें हक त्याग जय सिंह, रमेश पि. छीतर के नाम कर दिया। आराजी मुतनाजा वर्तमान में रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के नाम है। अपीलांट के पिता गोपी पुत्र घायी की मृत्यु हो गयी है। जिसके वारिस अपीलांट ही है। नामान्तकरण संख्या 430 पर गैर कानूनी रूप से आदेश पारित करने के कारण उक्त नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे। उभयपक्ष की उपस्थिति में नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 3 ने जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर अपील के तथ्यों को स्वीकार किया। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि अपीलांट अपनी अपील स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम धोलादांता बुबानिया के खाता संख्या 203 किता 6 रकबा 0.43 व 204 किता 14 रकबा 2.48 की आराजी अपीलाट के पूर्वज गोपी पुत्र घीसा की खातेदारी थी तथा रेस्पोडेन्टस के पूर्वज का नाम छीतर पुत्र गोपी था। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के दादा का नाम गोपी पुत्र घीसा था। रेस्पोडेन्टस के पिता छीतर पुत्र गोपी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खाता संख्या 43, 44, 45, 46, 47, 131 की आराजी पर अपने पिता छीतर का नामानतकरण खुलवाते समय भूलवश अपीलांट की आराजी में भी गोपी पुत्र घीसा एक ही नाम होने के कारण रेस्पोडेन्टस के नाम अंकित कर दिया। नामान्तकरण संख्या 403 दिनांक 21.02.2022 द्वारा छीतर पुत्र गोपी के स्थान पर वारिस जय सिंह, रमेश पि. छीतर व कंचन, सोना पुत्रियॉ छीतर व नानी देवी पत्नी छीतर का नाम अंकन किया गया। विरासत होने के बाद कंचन, सोना पुत्रियॉ छीतर व नानी देवी पत्नी छीतर ने अपना हिस्सा जरियें हक त्याग जय सिंह, रमेश पि. छीतर के नाम कर दिया। आराजी मुतनाजा वर्तमान में रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के नाम है। अपीलांट के पिता गोपी पुत्र घायी की मृत्यु हो गयी है। जिसके वारिस अपीलांट ही है। अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के पूर्वज का समान नाम होने के कारण आराजी मूतनाजा जो कि अपीलांट के पूर्वज की खातेदारी थी पर त्रुटिपूर्ण तरीके से रेस्पोडेन्टस 2,3 व अन्य वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 3 ने उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। पत्रावली में खण्डन के कोई तथ्य [illegible] नामान्तकरण संख्या 403 दिनांक 21.02.2022 द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नही [illegible] राज. पैरोकार ने भी प्रकरण का खण्डन नही किया है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक करते [illegible] पंचायत द्वारा मुत खातेदार के वारिसान की विस्तृत जॉच [illegible] पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर विधिक त्रुटि की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:30:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उक्तानुसार ग्राम पंचायत नान्दला द्वारा नामान्तकरण संख्या 403 में दिनांक 21.02.2022 को पारित आदेश विधिसम्मत/न्यायसंगत आदेश नही है। उक्त नामान्तकरण में विधिक तथा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर है, जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित होने से हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से एतद् द्वारा **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम धोलादांता बूबानिया का नामान्तकरण संख्या 403 में दिनांक 21.02.2022 में ग्राम पंचायत नान्दला द्वारा पारित आदेश ग्राम धोलादांता बुबानिया के खाता संख्या 203 किता 6 रकबा 0.43 व 204 किता 14 रकबा 2.48 की आराजी के हक तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम धोलादांता बुबानिया के खाता संख्या 203 किता 6 रकबा 0.43 व 204 किता 14 रकबा 2.48 की आराजी पर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये नवीन सिरे से नामान्तकरण की कार्यवाही करावें पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:30:38 IST
Reason: SelfAttested